न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :– 77/2020
CIS No. :– TS/77/2020
CNR No. :– BRWC22–000119–2020

कलमा बेगम एवं अन्य बनाम् **तवरेज आलम एवं अन्य**

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
25.05.2022	अभिलेख पेश हुयी। पुकार पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी द्वितीय पक्ष, प्रतिवादी तृतीय पक्ष एवं प्रतिवादी चतुर्थ पक्ष अनुपस्थित। प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम दिनांक 03.03.2022 प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत करके कथन किया गया है कि विलम्ब को माफ करते हुए दिनांक 03.03.2022 को दाखिल बयान तहरीरी को स्वीकृत व अभिलेखावलित किया जाय। वादीगण की ओर से मौखिक आपत्ति की गयी। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थनापत्र दिनांक 03.03.2022 में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत वाद के सभी विवाद्यक बिन्दुओं के गुण दोष के आधार पर प्रभावी एवं न्यायसंगत निस्तारण हेतु जो कि किसी भी वाद के निस्तारण का श्रेयस्कर तरीका भी है, प्रतिवादी संख्या 2 को प्रस्तुत वाद में अपना पक्ष रखने का एक अवसर दिया जाना उचित प्रतीत है। परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा विलम्ब से बयान तहरीरी दाखिल करने के कारण वाद के निस्तारण में जो विलम्ब हुआ है व वादीपक्ष को जो क्षति हुयी है, उसकी पूर्ति हेतु प्रार्थनापत्र दिनांक 03.03.2022 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है। **आदेश** प्रार्थनापत्र दिनांक 03.03.2022 रू० 1000/– हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 03.03.2022 को दाखिल बयान तहरीरी स्वीकार करते हुए अभिलेखावलित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 को आदेशित किया जाता है कि वे हर्जा अगामी नियत	

न्यायालय— अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :— 77/2020
CIS No. :— TS/77/2020
CNR No. :— BRWC22–000119–2020

कलमा बेगम एवं अन्य बनाम् **तवरेज आलम एवं अन्य**

लगातार **25.05.2022**	तिथि तक वादीपक्ष को अदा करना सुनिश्चित करें। हर्जा अदायगी पर ही प्रार्थनापत्र दिनांक 03.03.2022 स्वीकृत माना जायेगा। प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 को बयान तहरीरी दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। अभिलेख वास्ते हर्जा अदायगी/प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 की उपस्थिति हेतु प्रकाशन की कार्यवाही/प्रार्थनापत्र दिनांक 16.02.2022 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता पर सुनवाई व प्रत्युत्तर हेतु दिनांक—29.06.2022 को पेश हो। (मानस कुमार) अवर न्यायाधीश तृतीय न्याय कक्ष—4 नरकटियागंज।	